फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.........**सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक** ....मुकाम.....................भादरा...

.... **हबीब खां** ....बनाम्................ **हमीद खां आदि** ....

किस्म मुकदमा............**212 आंर.टी.ए.** ....न० .... 49/18 ....सन्............... **2018**..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14.06.2018	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिर्पोट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि चक 10 बारानी के खाता संख्या 178/154 मु.नं. 54 के किला नं. 21 ता 24, मु.नं. 55 के किला नं. 24 व 25, मु.नं. 56 के किला नं. 3 व 8, किला नं. 14 ता 17, मु.नं. 57 के किला नं. 1 ता 15, 19, 20 मु.नं. 63 के किला नं. 11 कुल किला 34 क्षैत्रफल 8.6020 हैक्टर बारानी कृषि वादभूमि में हिस्सा विशेष का विक्रय न करें, ना ही हिस्सा विशेष का कब्जा किसी अजनबी व्यक्ति को सुपुर्द करें। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2018 को पेश है। Rw **सहायक कलेक्टर** **(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)**	1-6
9/7/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] 10-8-18 को पेश है। Rw	
10/7/18	पत्रावली प्रार्थी के आवेदन पत्र पर आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारिज करवाने के लिये निवेदन किया। प्रार्थी का प्रा.-पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 15-6-18 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नतीजा [illegible] बाद दाखिल दफ्तर है। Rw	हबीब खां पहचानकर्ता [illegible] नरेन्द्र कुमार